न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।

प्रकीर्ण वाद सं०–04/2018

रजि०नं०– 02/2018

मलकीयत सिंह बनाम बलकार सिंह आदि।

धारा–156(3) दं०प्र०सं०

थाना– मिलक, जिला रामपुर।

10–01–2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०सं० पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी सं०–1 ने अपनी गाटा सं०–9 वर्णित वाद पत्र विपक्षी सं०–2 के साथ एक एकड़ भूमि बचेन का सौदा गवाहान गुरेन्द्र जीत सिंह एवं मनजीत सिंह के सामने वर्ष 2016, मार्च माह में 8,00,000/– रूपये प्रति एकड़ बेचने का प्रार्थी से करके प्रार्थी के बचत खाते सं०– 218201005956 कैनरा बैंक एकाउन्ट में धोखा देकर ट्रांसफर करके अपने बैंक सैविंग खाते द्वारा प्राप्त कर लिये और कई बार इकरारनामा मुआयदाबय व बेयनामा कराने का आश्वासन देने के बाद भी विपक्षी सं०–1 ने इकरारनामा मुआयदाबय अथवा बयनामा नहीं कराया। दिनांक 25–11–2017 को विपक्षीगण ने इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि 1,50,000/– रूपये जमीन के सौदे के बहाने धोखा देकर लेना था जो ले लिया। दिनांक 22–12–2017 को समय 8:00 बजे सुबह प्रार्थी ने पुन: विपक्षीगण से डेढ़ लाख रूपये वापस देने को कहा तो विपक्षीगण आग बबूला हो गये और मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ दी तथा जान से मारने की धमकी दी और कहा कि रूपया धोखा देकर हडपना था जो हड़प लिया। प्रार्थी उक्त वाक्य की रिपोर्ट लिखाने थाने गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। तब प्रार्थी ने दिनांक 23–12–2017 को पंजीकृत डाक से एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, रामपुर को प्रेषित किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अत: न्यायालय से निवेदन किया गया है कि थानाध्यक्ष मिलक को आदेशित किया जाये कि वह अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने शपथपत्र, रजिस्ट्री रसीद, पुलिस अधीक्षक, रामपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, बैंक की रसीदें दो किता एवं आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किये गये हैं।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त मामले के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में घटना के कथित दिनांक, समय एवं स्थान पर विपक्षीगण द्वारा जमीन बेचने के बहाने धोखे से 1,50,000/– रूपये लेने, गालियॉ देन तथा जान से मारने की धमकी देने का अभिकथन किया है। प्रार्थना पत्र के कथन शपथपत्र, रजिस्ट्री रसीद, पुलिस अधीक्षक, रामपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, बैंक की रसीदें दो किता एवं आधार कार्ड की छाया प्रति से समर्थित हैं। इस प्रकार समग्रतः प्रार्थना पत्र के प्रकथनों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष मिलक को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण का सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना करें और न्यायालय के आदेश अनुपालन की बावत न्यायालय को अवगत करायें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामपुर।
10–01–2018